प्रेस नोट　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　दिनांक 12.07.2024

थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा मुठभेड़ में घायल अवस्था मे एक लुटेरा गिरफ्तार

आज दिनांक 12/07/2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम अपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत ईएसआई अस्पताल के सामने शालीमार गार्डन की तरफ से आने वाले रास्ते पर चेकिंग कर रहे थे तभी एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति कन्हा काम्प्लेक्स की तरफ से आता दिखाई दिया जिसको रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुका और अपनी मोटरसाइकिल को पीछे की तरफ मोड़कर तेजी से भागने लगा । शक होने पर पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो पुलिस टीम को अपने पीछे आते देख भाग रहे बदमाश के द्वारा मोटरसाइकिल को तेजी से भगाने के कारण मोटरसाइकिल प्रेम गली में फिसल कर गिर गई और पुलिस पार्टी को पीछे आते देख बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में पुलिस पार्टी पर फायर कर रहा बदमाश घायल हो गया घायल बदमाश को उपचार हेतू अस्पताल भेजा जा रहा है आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त।

1. रवि पुत्र शिव कुमार निवासी दिलशाद गार्डन दिल्ली उम्र-28 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त रवि उपरोक्त पर दिल्ली व गाजियाबाद में चोरी लूट व आर्म एक्ट के लगभग दो दर्जन अभियोग पंजीकृत है

बरामदगी का विवरण

1- 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस
2. एक अदद मोटरसाइकिल चोरी की
3. एक अदद मोबाइल लूट का

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 50 हजार रुपये का पुरुस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार ।

दिनांक 21/22.06.2024 की रात्रि में थाना निवाड़ी पर सूचना प्राप्त हुई की जंगल ग्राम खिंदौडा में खेत में पानी चलाने के विवाद को लेकर तीन व्यक्तियों को गोली मार दी गयी है जिसमें से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा 01 व्यक्ति को गम्भीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है । प्राप्त सूचना के आधार पर थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर तत्काल घटनास्थल पर पहुँचा

गया तथा फील्ड यूनिट टीम व डॉग स्कवायड टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया व शवों के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। उच्चाधिकारीगणों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। दिनांक 22.06.2024 को थाना निवाडी पर वादी बिलाल पुत्र मान निवासी ग्राम रसूलपुर धोलडी थाना जानी मेरठ ने तहरीर दी जिसके आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.06.2024 को ही घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों बिट्टू, दीपक व सुधीर नि0गण ग्राम खिंदौडा को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त दीपक की निशादेही पर आलाकत्ल 01 अवैध पिस्टल व 01 जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद किया गया एवं दिनांक 27.06.2024 को 02 अभियुक्तों मोहित उर्फ बादशाह पुत्र सुशील व लवली पुत्र संजीव को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 08.07.2024 को अभियोग में वांछित 50 हजार रुपये का पुरुस्कार घोषित अपराधी दीपक पुत्र कांति प्रसाद निवासी ग्राम खिंदौडा थाना निवाड़ी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल व निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अवैध पिस्टल व 02 जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

कल दिनांक 11-07-2024 को स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग में वांछित 50 हजार रुपये का पुरुस्कार घोषित अपराधी आसिफ पुत्र अनीश निवासी ग्राम खिंदौडा थाना निवाड़ी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्त आसिफ पुत्र अनीश उपरोक्त ने बताया कि हमारे गांव के सुधीर व उसके पुत्र दीपक व बिट्टू का मृतक पप्पू व उसके लड़कों से खेत में पानी लगाने को लेकर झगड़ा हो गया था। इसी बात को लेकर विपक्षी ने उन्हें यह धमकी दी थी कि तुम लोग कल सुबह का सूरज नही देख पाओगें। जब ये बात सुधीर व उसके पुत्रों ने हमें बतायी तो हमने सुधीर से कहा कि आप चिंता मत करों ये लोग खुद ही कल का सूरज नहीं देख पायेगें। दीपक पुत्र कान्ती निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना निवाड़ी गाजियाबाद ने पहले से ही अपने पास रखे 02 पिस्टल व कारतूस मोहित उर्फ बादशाह को दे दिये थे। फिर हम लोग योजना के अनुसार घटनास्थल पर पहुंचे मैने पप्पू व उसके लड़कों की मोटरसाइकिल से आने की सूचना दी थी तथा उसके बाद दीपक पुत्र सुधीर व मोहित उर्फ बादशाह ने अपनी अपनी पिस्टल से पप्पू व उसके लड़कों पर गोलियां चलायी थी जिसमें पप्पू व उसका एक लड़का मर गया तथा एक घायल होकर वहां से भाग गया था। पप्पू व उसके लड़के के शव एवं उनकी मोटरसाइकिल को छिपाने के लिये हमने रजवाहा/ बम्बा में फैंक दिया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

आसिफ पुत्र अनीश निवासी ग्राम खिंदौडा थाना निवाडी, गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष,

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त आसिफ उपरोक्त के विरुद्ध थाना निवाड़ी पर हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा मोबाईल लूट व चोरी करने वाले 03 अभि0 गिरफ्तार, कब्ज़े से लूटा गया 01 मोबाईल व 01 चोरी की मोटर साईकिल बरामद।

दिनांक 11.07.2024 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1-वरुण कश्यप 2- विशाल उर्फ पाली 3- सुमित उर्फ दीवाना को यूफोरिया बैंकट हाल कट से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि लगभग एक माह पूर्व हम दोनों वरूण व विशाल ने इसी मो0सा0 से बस अड्डा से मेरठ रोड की ओर अंग्रेजी शराब के ठेके के पास स्कूटी से जा रही दो महिलाओ में से पीछे बैठी महिला के हाथ से फोन छीना था जिसको हमने राह चलते व्यक्ति को अपनी मजबूरी बताकर 4000/- रुपये में बेच दिया था जिसके पैसे आधे-आधे बाट लिये उसी में से 520 रू0 बचे है और लगभग तीन से चार माह पूर्व के0के0 मित्तल कट के पास एक ई- रिक्शा में बैठकर जा रहे व्यक्ति के हाथ से वरूण कश्यप ने फोन छीना था । मो0सा0 के बारे में सख़्ती से पूछताछ की गयी तो तीनों ने एक स्वर में बताया कि यह मो0सा0 हिंडन विहार से लगभग चार माह पूर्व उठाकर लाये थे और वरुण व विशाल ने बताया कि अधिकतर घटना हम दोनों अलग अलग तरीके से नंबर प्लेट हटाकर व नंबर प्लेट बदलकर करते है एवं यह फोन हम तीनों ने मिलकर पैदल ही परसों रात्रि में अग्रसेन भवन के सामने मोबाइल फोन पर बात करते हुए साइकिल से जा रहे एक लड़के से छीना था। और हम तीनों वहां से इस फोन को लेकर भाग गये। कल हम तीनों इस फोन को बेचने की फिराक में इस मो0सा0 से जा रहे थे।

नाम पता अभियुक्तगण-

1- वरुण कश्यप पुत्र चन्द्रशेखर निवासी गली नंबर 3 सिब्बनपुरा थाना सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र लगभग 20 वर्ष।

2- विशाल उर्फ पाली पुत्र मदन निवासी 696 सिब्बनपुरा सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र लगभग 19 वर्ष।

3- सुमित उर्फ दीवाना पुत्र पप्पू महतो निवासी हाल किरायेदार कपिल बनिये का मकान सिब्बनपुरा थाना सिहानीगेट उम्र लगभग 22 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

1- अभियुक्त- वरुण कश्यप उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद ग़ाज़ियाबाद पर आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 मोबाईल

2. 520 रुपये

3- एक चोरी की मोटर साइकिल

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद।

दिनांक 10.07.2024 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि मेरे मुर्गी फार्म से अज्ञात चोर द्वारा सामान चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना का अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 12-07-2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना व मैनुअल इन्पुट के आधार पर उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए चैंकिग के दौरान 05 अभियुक्तों 1. अरूण पुत्र छुट्टन 2. अजय उर्फ छोटू पुत्र मुण्डा 3. राहुल पुत्र रामफेर 4. बच्ची उर्फ बच्चा पुत्र मुन्ने 5. मनीष पुत्र छुट्टन निवासीगण जगतपुरी झुग्गी झोपड़ी निवाड़ी रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ सामान बरामद किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम नट जाति से है और जगह जगह डेरे डालकर रहते है और मौका पाकर चोरी आदि की घटनाओं को करते है। हम पाँचो लोगों ने अपने दो अन्य साथियों 1.रोहित पुत्र अमर सिंह 2. रघु पुत्र बोहरा निवासीगण जगतपुरी झुग्गी झोपड़ी निवाड़ी रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद के साथ मिलकर शकूरपुर गाँव के बाहर बन्द पड़े एक मुर्गी फार्म से लोहे, टीन व प्लास्टिक का सामान चोरी किया था और चोरी किये गये सामान को जंगलो में छिपा दिया था। आज हम लोग इस सामान को बेचने की लिए ले जा रहे थे कि पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. अरूण पुत्र छुट्टन निवासी जगतपुरी झुग्गी झोपड़ी निवाड़ी रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र 24 वर्ष
2. अजय उर्फ छोटू पुत्र मुण्डा निवासी जगतपुरी झुग्गी झोपड़ी निवाड़ी रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष
3. राहुल पुत्र रामफेर निवासी जगतपुरी झुग्गी झोपड़ी निवाड़ी रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष
4. बच्ची उर्फ बच्चा पुत्र मुन्ने निवासी जगतपुरी झुग्गी झोपड़ी निवाड़ी रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र 23 वर्ष
5. मनीष पुत्र छुट्टन निवासी जगतपुरी झुग्गी झोपड़ी निवाड़ी रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण

मुर्गी पालन में इस्तेमाल होने वाला सामान 03 लोहे/टीन की टंकी तथा प्लास्टिक के बर्तन व प्लास्टिक स्टैंड आदि बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त अरूण के विरुद्ध पूर्व में थाना मोदीनगर गाजियाबाद में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा डबल मर्डर को अंजाम देने वाले 03 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार । कब्जे से घटना में इस्तेमाल एक पिस्टल .32 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस .32 बोर, घटना में प्रयुक्त मो0सा0 HARLEY DAVIDSON बरामद ।

दिनांक 12-07-24 को वादी श्री कपिल पुत्र राकेश कुमार निवासी F-307 औरा कायमेरा राजनगर एक्स0 थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने सूचना दी कि मेरे भाई नवीन चौधरी व मेरे चचेरे भाई विकास चौधरी को अनुज चौधरी पुत्र ओमवीर सिंह निवासी सांची फार्म हाऊस ने अपने पिता की दुकान के सामने फोन करके बुलाया, अनुज अपने साथी के साथ मोटर साईकिल पर आया और आते ही मेरे दोनो भाईयो को गोली मार दी और गोली मारकर भाग गये नवीन और विकास को हम लोग यशोदा हास्पिटल ले गये जहां ईलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी। उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पर वादी की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत की गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन किया गया, दिनांक 12-07-24 को घटना में शामिल 03 अभियुक्तो को घटना में इस्तेमाल एक पिस्टल 32 बोर मय 03 जिन्दा कारतुस .32 बोर, घटना में प्रयुक्त मो0सा0 HARLEY DAVIDSON के साथ रिवर हाईट के पीछे मैदान के पास से नूर नगर सिहानी जाने वाले कच्चे रास्ते के पास से किया गिरफ्तार।

अभि0गण का नाम व पता-

(1) कुलदीप पुत्र कृपाल सिंह निवासी इन्द्रप्रस्थ एन्कलेव कैलास अस्पताल के पीछे मेरठ रोड थाना नन्दग्राम गाजियाबाद , मुल पता- ग्राम कुशावली तहसील सरधना थाना सरधना मेरठ।

(2) अनुज चौधरी पुत्र ओमवीर सिंह चौधरी निवासी सुभाष नगर म0नं0 5, सिहानी रोड गली नं 2 थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।

(3) ओमवीर पुत्र देशराज निवासी सुभाष नगर म0नं0 5, सिहानी रोड गली नं 2 थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त अनुज चौधरी ने पूछताछ पर बताया कि मेरे साडू कपिल का सगा भाई नवीन व उसके चाचा का लडका विकास है, मेरे उनके साथ पारिवारिक बातो को लेकर पहले कहा सुनी हो गयी थी, कल मैने विकास को फोन करके यहां सांची फार्म हाउस सुभाष नगर पर बुलाया था, जहां पर हमारा झगडा हो गया तो मैने अपनी साथी कुलदीप व राजा(फरार) व अपने पिता ओमवीर के साथ मिलकर पहले तो नवीन व विकास के साथ हाथापाई की, फिर मेरे साथी कुलदीप द्वारा पिस्टल से नवीन व विकास को नीचे गिराकर गोली मार दी, और हम सभी लोग वहां से भाग गये।

अभियुक्त आपराधिक इतिहास-

अभि0 कुलदीप उपरोक्त के विरुद्ध थाना सिहानी गेट पर 01 अभियोग जान से मारने की नियत से हमला करना, 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट का, 01 अभियोग आर्म्स एक्ट का, 01 अभियोग चोरी का माल बरामदगी का कुल 04 अभियोग कमि0 गाजियाबाद में पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

1 एक पिस्टल .32 बोर

2 03 जिन्दा कारतुस .32 बोर

3 घटना में प्रयुक्त मो0सा0 HARLEY DAVIDSON

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।